कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

पत्रांक– 3807 / 33–1 / दिनांक, जून, 01 ,2022।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन, सा0वा0 वन प्रभाग, उरई।

विषयः– जनपद जालौन में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल येाजना के अधीन शिवपुरी– भोगनीपुर राज्य मार्ग, उरई–राठ मार्ग, उरई– औरैया मार्ग, एट–पचोखरा मार्ग, कोंच–नदीगांव मार्ग के किनारे प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि 4.7727 के प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Water/155109/2022 के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक– 2280/33–1, दिनांक 28.05.2022।

महोदय,

आपका उपरोक्त संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय को दिनांक 30.05.2022 को प्राप्त हुआ, जिसमें आप द्वारा विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव अपने संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव का इस कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त निम्न प्रकार कमियां पायी गई :–

1. प्रस्ताव की पत्रावली की विषय सूची एवं पत्रावली के प्रत्येक पेज पर पेज संख्या अंकित नहीं की गई है।
2. पत्रावली में संलग्न किये गये प्रपत्र कमबद्ध रूप से नहीं लगाये गये है। आपके सहायता के लिए इस कार्यालय में प्राप्त प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Water/150924/2022 की विषय सूची की छायाप्रति उदाहरणार्थ प्रेषित है कि तदनुसार संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों को कमबद्ध रूप से संलग्न करें।
3. नोटसीट में प्रभागीय वनाधिकारी, उरई एवं जिलाधिकारी उरई की पदनाम मोहर नहीं लगाई गई है।
4. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी एट, कोंच व उरई के साथ–साथ याचक विभाग के प्रतिनिधि के पदनाम की मोहर नहीं लगी है।
5. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर अग्रेषित नहीं किया गया है।
6. परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षोरापण के छूट के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्रांक– FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2022 को भलि भांति अध्ययन करते हुये तदनुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. ऑनलाईन पार्ट–1 के कमांक 08 पर प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 5.5287 हे0 दर्शाया गया है। जबकि भाग–1 के हिन्दी बर्जन व भाग–2 के अंग्रेजी व हिन्दी बर्जन में प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 4.7727 हे0 दर्शाया गया है। स्थिति स्पष्ट करते हुये क्षेत्रफल सहीं अंकित कर यथा स्थान संशोधित करें।
8. स्थल संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण का दिनांक अंकित नहीं है, अंकित करें।
9. भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.01.2012 में उल्लिखित बिन्दु संख्या–02 व 03 से सम्बन्धित सूचना प्रपत्र में कुल बाधक वृक्षों की संख्या को अंकित नहीं किया गया है।
10. पेनड्राईव संलग्न नहीं की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कमियों का ऑन लाईन व ऑफलाईन निराकरण/संशोधन करते हुये सी0डी0 व पेनड्राईव में तदनुसार डाटा अपलोड करें। उक्त प्रस्ताव की चार प्रतियां (मूल में) वापस की जा रही है।

संलग्नक– प्रस्ताव चार प्रतियों में।

भवदीय
01/06
(पी0पी0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी
वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0 झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी
वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी